भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2982

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

जनजातीय लोगों को वित्तीय सहायता

†2982. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय बहुल पालघर जिले को उद्यमिता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में 39 ईएमआरएस को अनुमोदित किया है, जिनमें से 37 ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना है। मंत्रालय ने पालघर जिले में 7 ईएमआरएस को अनुमोदित किया है, जिनमें से 5 के क्रियाशील होने की सूचना है। मंत्रालय राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) को निधियां जारी करता है और आगे एनईएसटीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निर्माण एजेंसियों/राज्य सोसायटियों को ईएमआरएस के निर्माण के लिए उनकी आवश्यकताओं और स्कूलों के संचालन के लिए आवर्ती लागत के अनुसार निधियां जारी करता है। एनईएसटीएस ने महाराष्ट्र को 2022-23 में 12,919.16 लाख रुपये और 2023-24 में 8,525.91 लाख रुपये जारी किए हैं।

मंत्रालय देश में अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पालघर जिले, महाराष्ट्र में 1800 लाख रुपये (प्रति एमपीसी 60 लाख रुपये की दर से) की कुल अनुमोदित निधि के साथ 30 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) को अनुमोदित किया है, जिनका उद्देश्य पीवीटीजी बस्तियों को स्वास्थ्य, पोषण, कौशल आदि सहित कई सेवाएं प्रदान करना है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के तहत, ट्राइफेड ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 75 लाख रुपये की राशि के बराबर की लागत से लगभग 1500 सदस्यों से जुड़े 5 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के तहत, ट्राइफेड ने पालघर जिले में 36.25 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लगभग 725 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सदस्यों से संबद्ध 8 वीडीवीके स्वीकृत किए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने जनजातीय बहुल पालघर जिले को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह वित्तीय सहायता महाराष्ट्र राज्य में स्वरोजगार के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है। एनएसटीएफडीसी ने कृषि सेवा केंद्र, ईंट व्यवसाय, भैंस पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, आटा मिल, होटल ढाबा, अंडे और चिकन की दुकानें, सब्जी और मछली की खुदरा बिक्री, किराने की दुकान, गैरेज, कार्गो वाहन, सजावट कर्ताओं (डेकोरेटर्स) और ऑनलाइन सेवा केंद्र सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए पालघर जिले (महाराष्ट्र) में 162 जनजातीय लाभार्थियों को कवर करते हुए 324 लाख रुपये का वितरण किया है।

मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र के 1542 गांवों (पालघर जिले में 95 गांव) के वीडीपी को अनुमोदन दिया है। मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को 134.85 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) शुरू किया गया है, जिसमें पीएमएएजीवाई के अंतर्गत आने वाले गांवों सहित 63000 से अधिक गांव शामिल होंगे। महाराष्ट्र में डीए-जेजीयूए के अंतर्गत 4975 गांव होंगे। राज्य सरकार को इन गांवों को डीए-जेजीयूए के अंतर्गत लाने की सलाह दी गई है, जो कि पीएमएएजीवाई का अधिक संरचित संस्करण है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों और राज्य विभागों से प्रमुख उपायों के लिए निधियों और संतृप्ति का समर्पित अभिसरण है। इसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय उपायों के लिए समर्पित निधियां प्रदान करने की परिकल्पना है।

*****